न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 115/2017

1. मेजर सिंह उर्फ सरजीत सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह उर्फ शेरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 क्यू ग्राम पंचायत संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 20 ए–बी, ग्राम पंचायत 22 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
2. मलकीत सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह उर्फ शेर सिंह जाति जटसिख निवासी गोविन्द नगर, सिरसा (हरियाणा)
3. जरनैल सिंह पुत्र शमशेर सिंह उर्फ शेर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 क्यू ग्राम पंचायत संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– – प्रतिवादीगण

दावा पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत एवं घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — वादीगण
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 स्वंय

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.06.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 83/35 के मुरब्बा नम्बर 3 व 4 की कुल कृषि भूमि में से 1.898 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी के नाम (सरजीतं सिंह पुत्र शेर सिंह) से दर्ज कागजात राज है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है ।

उक्त वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के पिताजी शेरसिंह उर्फ शमशेर सिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए विभाजन से प्राप्त हुई। उक्त विभाजन के समय कृषि भूमि के रिकार्ड में वादी का घरेलू नाम ''सरजीत सिंह पुत्र शेर सिंह'' अंकित कर दिया, जबकि वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी का नाम ''मेजर सिंह पुत्र शमशेर सिंह'' अंकित है एवं वादी के बच्चो के शैक्षणिक दस्तावेजात में वादी का नाम ''मेजर सिंह'' अंकित है। वादी का कृषि भूमि रिकार्ड में घरू नाम दर्ज होने के कारण, वादी के नाम से जारी मतदाता पहचान, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि से मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादी को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज, मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादी वंचित हो रहा है जबकि कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित ''सरजीत सिंह पुत्र शेरसिंह'' एवं वादी के नाम से जारी दस्तावेजो में अंकित ''मेजर सिंह पुत्र शमशेर सिंह'' वादी का ही नाम है

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

तथा एक ही व्यक्ति है। वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व वादी की सन्तान के शैक्षणिक दस्तावेज आदि की प्रतियां संलग्न वाद पत्र है ।

वादी ने दिनांक 29.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपनी समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दुरूस्त करवाने हेतू हिदायत दी, बस यही वाद कारण है इसलिए वादी को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादी नेकनीयत है वादी क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

1. चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 83/35 के मुरब्बा नम्बर 3 व 4 की कुल कृषि भूमि में से वादी के नाम ''सरजीत सिंह पुत्र शेर सिंह 1.898 हैक्टर'' कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को दुरूस्त किया जाकर ''मेजर सिंह पुत्र शमशेर सिंह 1.898 हैक्टर'' अंकित करने के आदेश दिये जावे''।
2. अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किये जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत आयोजित शिविर में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 24.06.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये उभयपक्ष की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि वाद पत्र में पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है चूंकि पक्षकारान एक ही परिवार के होने के कारण औपचारिक पक्षकार है तथा वाद पत्र में अंकित भूमि में प्रथम पक्ष के नाम में हुई त्रुटी को दुरूस्त करने से पक्षकारान के हक व हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 83/35 के मुरब्बा नम्बर 3 व 4 की कुल कृषि भूमि में से वादी के नाम ''सरजीत सिंह पुत्र शेर सिंह 1.898 हैक्टर'' कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को दुरूस्त किया जाकर ''मेजर सिंह पुत्र शमशेर सिंह 1.898 हैक्टर'' अंकित करने के आदेश पारित किये जावे तो पक्षकारान को कोई एतराज नहीं है। राजस्व रिकार्ड में अंकित ''सरजीत सिंह पुत्र शेरसिंह'' व दुरूस्त किए जाने वाला ''मेजर सिंह पुत्र शमशेर सिंह'' नाम एक ही व्यक्ति के है तथा द्वितीय पक्ष संख्या 1 व 2 के भाई का नाम है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन वाद पत्र वादी के नाम दुरूस्ती का है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है अतः राज्यय हितों को मध्यनजर रखते हुए निर्णय फरमावे।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व राजीनामा का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत चक 8 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 83/35 के मुरब्बा नम्बर 3 व 4 की कुल कृषि भूमि में से वादी के नाम ''सरजीत सिंह पुत्र शेर सिंह 1.898 हैक्टर'' कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को दुरूस्त किया जाकर ''मेजर सिंह पुत्र शमशेर सिंह 1.898 हैक्टर'' अंकित करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर